विधि की अवधारणा

❑ विधि का अर्थ व परिभाषाएँ :

- विधि (Law) शब्द की उत्पत्ति ट्यूटोनिक धातु के 'लैग' शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है–'एक साथ' 'एक जैसा बाँधना'। इसी संदर्भ में विधि 'नियमों का समूह' है जो समाज में रहने वाले लोगों से अपेक्षा करती है कि वे समस्त व्यक्ति एक जैसा आचरण करें। विधि को हिंदू सभ्यता में 'धर्म', तथा इस्लाम में 'हुकुम' की संज्ञा दी गई है।
- विधि किसी भी राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण व सर्वव्याप्त अवधारणा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज की व्यवस्थाओं से अपना जीवनयापन करता है जिसके लिए नियमों का होना आवश्यक माना गया है, विधि मानव के बाह्य आचरण को निर्धारित करती है।
- विधि के माध्यम से राज्य के नागरिकों के आचरण, संव्यवहार एवं क्रियाकलापों पर युक्तियुक्त नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना, लोगों के अधिकारों का संरक्षण तथा उन्हें न्याय प्रदान करना है। समाज में व्यक्तियों के आचरणों या संव्यवहारों को उचित या अनुचित निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें ही 'विधि' कहा जाता है।
- इनका पालन न करने या अवमानना करने पर न्यायपालिका दण्ड देती है।
- विधि को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है क्योंकि विधि सामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित होती है तथा समाज की व्यवस्थाएँ एक जैसी ही होती है फिर भी विभिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएँ विधि को समझने में सहायक है।
- **हुकर के अनुसार**–'ऐसे नियम अथवा उपनियम जिनके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित होते हैं, विधि कहलाते हैं'। **सामंड के अनुसार**–विधि से तात्पर्य नागरिक विधि से है जो राज्य के द्वारा नागरिक के संबंध में लागू की जाती है।
- **हॉलैण्ड के अनुसार**–मानवीय कृत्यों के वे सामान्य नियम जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरण द्वारा होती है और वे नियम किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। ये प्राधिकारी राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान प्राधिकारियों में से चुने जाते हैं।
- **इहरिंग के अनुसार**–विधि वृहत्तर अर्थों में सामाजिक जीवन की अवस्थाओं का योग है, जिसे बाह्य बाध्यताओं के माध्यम से राज्यों द्वारा सुरक्षित किया जाता है।
- **ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार** – विधि को राज्य द्वारा लागू किया गया आचरण संबंधी नियम कहा गया है।

❐ विधि की विशेषताएँ/लक्षण/प्रकृति/गुण :

1. विधि सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है।
2. यह राज्य द्वारा निर्मित और प्रवर्तित कराई जाती है।
3. यह प्राधिकारिक रूप से मार्गदर्शन का कार्य करती है।
4. इसमें सभी न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों का समावेश होता है।
5. विधि अनिवार्य, पराधीन व अवमानना करने पर दण्ड की प्रक्रिया होती है।
6. विधि बाह्य आचरण और संव्यवहारों के सामान्य नियम है, व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
7. विधि की प्रकृति सार्वजनिक होती है।
8. विधि आदेशात्मक स्वरूप में होती है।
9. विधि में एकरूपता होना आवश्यक है।
10. यह नियम अथवा नियमों का समूह होती है।
11. विधि से अनभिज्ञता अक्षम्य होती है।

❐ विधि के दोष :

1. विधि में रूढ़िवादिता का विद्यमान होना।
2. लोचशीलता (Flexibility) का अभाव होता है।
3. विधि की भाषा जटिल होती है।
4. अत्यधिक औपचारिकताएँ होती है।
5. नियमों के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है।

❐ विधि के प्रकार :

1. **धार्मिक विधि** : ईश्वर की इच्छा एवं किसी धर्म विशेष से संबंधित विधि। प्रत्येक धर्म में मानवीय आचरण के विधान/नियम होते हैं जिनका पालन उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता है। ये नियम धार्मिक मान्यताओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे–मुस्लिम विधि, हिंदू विधि।

2. **नैतिक विधि** : नीतिशास्त्र पर आधारित सामान्य नियम, जिन्हें अधिकांशतया प्रभुत्ता सम्पन्न लोगों द्वारा निर्मित किया जाता है। ताकि लोग सामाजिक प्रचलन एवं दबावों के कारण अनैतिक व्यवहारों से बच सके।

3. **नागरिक विधि** : विधिवेत्ताओं द्वारा निर्मित विधि को नागरिक विधि कहा जाता है, इन्हें नागरिक नियम भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए लागू होने वाली विधि है।

4. **प्राकृतिक विधि** : प्राकृतिक सिद्धांतों एवं मान्यताओं पर आधारित नियम जो उचित एवं अनुचित आचरण की व्याख्या करते हैं। जैसे–नीतिशास्त्र, नैतिक सिद्धांत।

5. **अभिसाम्य विधि** : इसके अन्तर्गत ऐसे नियमों का समावेश होता है जो व्यक्तियों के द्वारा स्वेच्छा से एक–दूसरे के आचरण को निर्धारित करने के लिए बनाए जाते हैं।

6. **तकनीकी विधि** : किसी व्यावहारिक उद्‌देश्य की प्राप्ति हेतु बनाए गए नियम ही तकनीकी विधि कहलाते हैं। जैसे–व्यापार के नियम, पेशे के नियम।

7. **अन्तर्राष्ट्रीय विधि** : जब विभिन्न देशों के प्रतिनिधि परस्पर संबंधों को निर्धारित करने के लिए आपसी सहमति से नियम बनाते हैं तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। जैसे–WTO के नियम।

❖ विधि के स्त्रोत :

विधि के स्रोत		
रीति–रिवाज	**न्यायिक पूर्व निर्णय**	**विधि निर्माण/विधान**
यह विधि का सबसे पुराना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्रोत है।	ये ऐसे आदर्शों एवं प्रतिमानों को दर्शाते है जिन पर भावी आचरण आधारित होते हैं।	विधान का अर्थ मानव व्यवहार के नियमों का निर्माण करना।
यह उन सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति है जो जन उपयोगिता एवं न्याय के सिद्धान्तों के स्वाभाविक अंतः करण से स्वतः निर्मित हुए हैं।	यह एक स्वतंत्र स्त्रोत है, जो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्व निर्णय या दृष्टान्त का अनुपालन करना एवं सिद्ध बिन्दुओं को न छोड़ना।	यह विकास की एक सुविचारित प्रक्रिया है, जिसमें संविधान है, तथा संविधान के द्वारा मानव आचरण के नियमों का सृजन शामिल है।

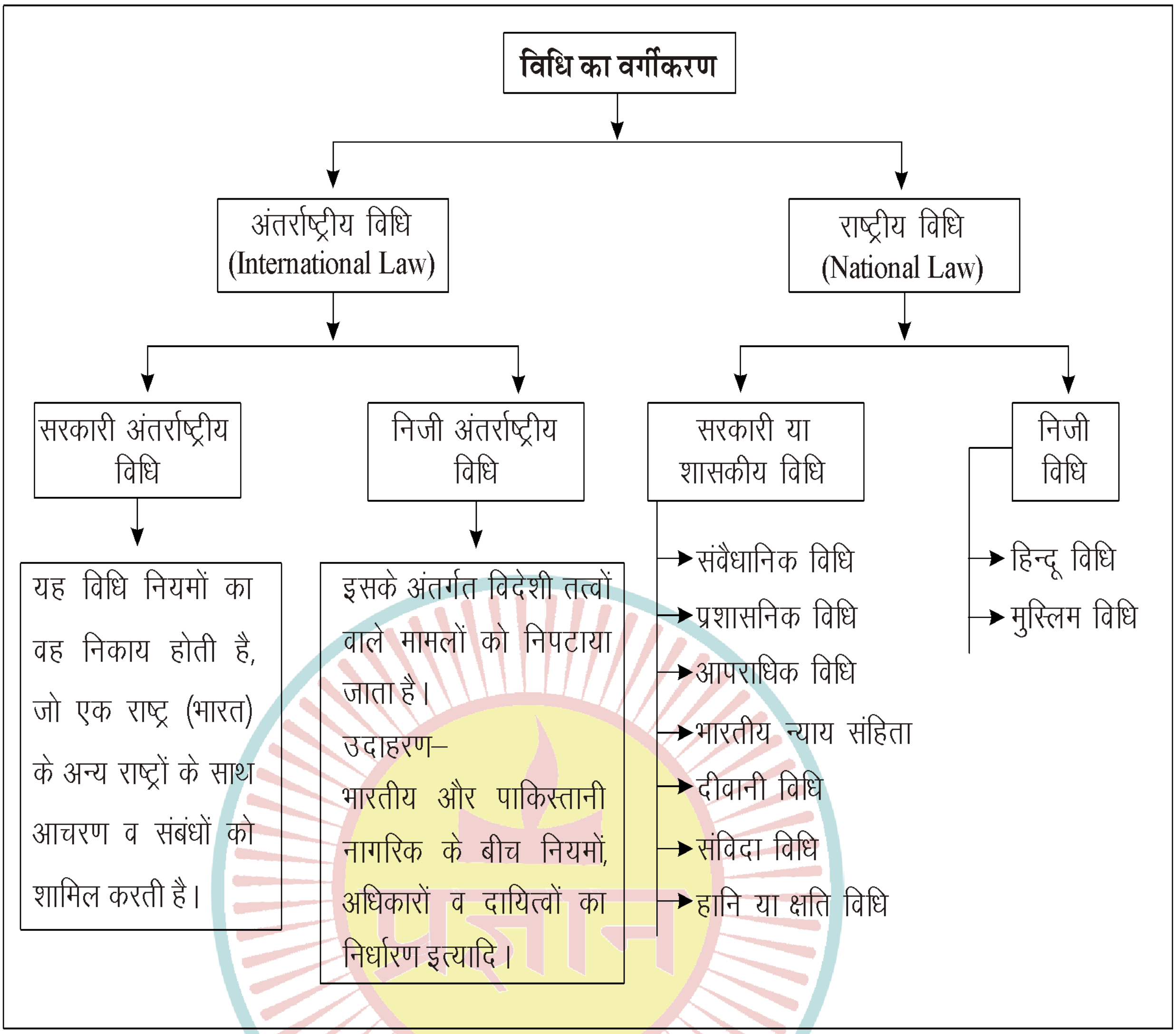

❒ भारत में संचालित कानून-व्यवस्था :

❖ भारतीय दण्ड संहिता (IPC) 1860 :

- भारतीय दण्ड संहिता को 6 अक्टूबर, 1860 को अधिनियमित किया गया तथा 1 जनवरी, 1862 को ब्रिटिशकाल में इसे लागू किया गया था।
- भारतीय दण्ड संहिता भारत के भीतर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा एवं दण्ड के सबंध में प्रावधान करती है।
- यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं है।
- यह भारत का मुख्य आपराधिक कोड है, जिसमें 511 धाराएँ है, यह एक व्यापक कानून है।
- कुछ समय पहले किए गए संशोधनों में भारतीय दण्ड संहिता को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिवर्तित कर दिया गया।

❖ भारतीय न्याय संहिता, 2023 :

- भारतीय न्याय संहिता भारत में आधिकारिक आपराधिक संहिता है।
- भारतीय न्याय व्यवस्था में बड़े बदलावों को शामिल करते हुए भारतीय संसद ने दिसम्बर, 2023 में पारित किए गए विधेयकों को 1 जुलाई, 2024 से लागू कर दिया गया।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने पुराने कानून भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की व्यवस्था का स्थान लिया।
- देश में पहली बार कानून भारतीय भावना और भारतीय संविधान में बनाए कानूनों से संचालित होंगे।
- भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय और 358 धाराएँ है।
- इसकी संरचना IPC के समान है।
- इसमें 511 धाराओं के स्थान पर 358 धाराएँ होगी।
- 20 नए अपराधों को जोड़ा गया।
- 33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ाया गया है।
- 19 धाराएँ निरस्त की गई।
- 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई।
- 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा पेश की गई।

❖ परिवर्तित स्वरूप :

- देशद्रोह–भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह को हटा दिया गया है। इसकी जगह देशद्रोह पर दण्ड का प्रावधान किया गया है। देश की एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर न्याय संहिता धारा 152 के तहत् आजीवन कारावास या कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, उससे दण्डित किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया।
- गैंगरेप के मामलों में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।
- 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ गैंगरेप पर नई अपराध श्रेणी जोड़ी गई।
- धोखे से यौन संबंध बनाने या शादी का झांसा देने वाले के लिए लक्षित दण्ड का प्रावधान किया गया।
- भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या कर उसे दण्डनीय अपराध बनाया गया।
- आतंकी कृत्य पर मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास होगी, जिसमें पेरोल नहीं होगा।
- संगठित अपराध से जुड़ी एक नई धारा भी जोड़ी गई।
- सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियों को नए प्रावधानों में जोड़ा गया। इसमें मॉब लिचिंग का नया प्रावधान जोड़ा गया। जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का नया प्रावधान जोड़ा गया।

❖ आपराधिक प्रक्रिया संहिता–(CrPC), 1973 :

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी, भारत में 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल, 1974 से लागू किया गया था।
- यह भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए मुख्य कानून है।
- यह अपराधों की जांच, गिरफ्तारी, साक्ष्य इकट्ठा करने, आरोपी की सजा तय करना और सार्वजनिक उपद्रव को रोकने जैसे कार्यों से जुड़े है।
- इसमें 37 अध्याय, 484 धाराएँ और 2 अनुसूचियाँ है।
- CrPC के तहत् अपराधों को 2 श्रेणियों में बाँटा गया है।
- CrPC के तहत् गिरफ्तारी, जमानत और न्यायाधीशों के रखरखाव से जुड़ी प्रक्रियाएँ शामिल है।
- 26 दिसम्बर, 2023 को CrPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से बदल दिया गया।

❖ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 :

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पूरे भारत में 1 जुलाई, 2024 से लागू कर दिया गया।
- यह भारत में मूल आपराधिक कानूनों के प्रशासन की प्रक्रिया पर मुख्य कानून है।
- Cr PC की 484 धाराओं के स्थान पर 531 सेक्शन होंगे।
- इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया।
- इससे 14 धाराएँ हटा दी गई है।
- 35 जगह पर ऑडियो–वीडियो का प्रावधान जोड़ा गया।
- 44 नए प्रावधान तथा स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं।

❖ परिवर्तित स्वरूप :

- पहली बार आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, ट्रायल तथा जजमेंट की टाइमलाइन तय की गई।
- शिकायत मिलने से 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करनी होगी।
- अब चार्जशीट 180 दिन में दाखिल करनी होगी और 14 दिन में मजिस्ट्रेट को इसका संज्ञान लेना होगा।
- यौन उत्पीड़न पर मेडिकल जाँच रिपोर्ट एग्जामिनर सात दिन में जाँच अधिकारी को भेजेंगे।
- सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप की पहली सुनवाई से 60 दिनों के अंदर आरोप तय किया जाएगा।
- किसी भी आपराधिक केस में मुकदमे की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अंदर जज को निर्णय देना होगा।

- सत्र न्यायालय द्वारा बरी करने या दोषिसिद्धी का निर्णय बहस पूरी होने से 30 दिनों के भीतर होगा, जिसके कारण बताने में 45 दिनों तक बढ़ा सकते हैं।
- देश छोड़कर भागे अपराधियों पर आरोप तय होने के 90 दिन के भीतर उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा।

❖ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 :**

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम मूलरूप से 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था।
- इसमें 11 अध्याय और 167 धाराएँ हैं।
- यह अदालत की सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है (कोर्ट मार्शल सहित)
- यह निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियमित है।
- 1 जुलाई, 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परिवर्तित किया गया।

❖ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 :**

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में परिवर्तित किया गया।
- इसे 1 जुलाई, 2024 से पूरे भारत में लागू किया गया।
- मूल 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएँ होगी।
- कुल 24 धाराओं में बदलाव किया गया।
- इसमें 6 धाराएँ हटाई गई है।

❖ **परिवर्तित स्वरूप :**

- इन दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल रिकॉर्ड, ई–मेल, स्मार्टफोन, लैपटॉप के मैसेज तथा लोकेशन भी शामिल है।
- पहली बार इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता व वैधता सुनिश्चित की गई।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया।

***

स्वामित्व

❐ स्वामित्व का अर्थ व परिभाषाएँ :

- स्वामित्व का तात्पर्य किसी वस्तु पर विशिष्ट वैधानिक अधिकार का होना है। स्वामित्व का विकास धीरे–धीरे सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुआ। जैसे–जैसे मानव घुमन्तू (चलवासी) जीवन से स्थिर जीवन की ओर बढ़ा वैसे–वैसे स्वामित्व की अवधारणा का उदय हुआ। लोग तेरा–मेरा (Thine and Mine) के बारे में विचार करने लगे तथा वस्तुओं पर अधिकार स्थापित करने लगे।
- स्वामित्व के अंतर्गत सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार की धारणा भूमि दखल और बेदखल की संकल्पना से ही धीरे–धीरे विकसित हुई। किसी सम्पत्ति के प्रति स्वत्व (Claim) को विधि द्वारा मान्यता देना स्वामित्व कहलाता है। इस अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन रोमन काल में हुई और यह भारत में प्राचीन काल से स्थापित हो गई।

❐ स्वामित्व की पश्चिमी अवधारणा :

1. रोमन विधि ।
2. इंग्लिश/आंग्ल विधि।

रोमन विधि (Roman Law)	आंग्ल विधि (English Law)
रोमन विधि में स्वामित्व की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास हुआ। इस विधि में स्वामित्व को डोमिनियम एवं कब्जे को पोजेसियों कहा गया था।	अंग्रेजी कानून में स्वामित्व की अवधारणा का विकास कब्जे की अवधारणा के बाद हुआ।
डोमिनियम का अर्थ–वस्तु पर सम्पूर्ण अधिकार का होना, वहीं पोजेसियो का अर्थ वस्तु पर भौतिक रूप से नियंत्रण का होना है।	शुरू में अंग्रेजी कानून में कब्जे की अवधारणा को अधिक महत्त्व दिया गया, क्योंकि उन्हें (अंग्रेजों) यह भ्रांति थी कि कब्जे की अवधारणा में ही स्वामित्व की अवधारणा निहित है।
रोमन विधि में स्वामित्व को अधिक महत्त्व दिया गया है। क्योंकि वस्तु पर सम्पूर्ण अधिकार होना उस पर भौतिक नियंत्रण होने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।	होल्डसवर्थ (Hold sworth) के अनुसार आंग्ल विधि ने कब्जे की अवधारणा के विकास के द्वारा ही स्वामित्व की अवधारणा को एक सम्पूर्ण अधिकार जैसे स्वीकार किया।

❒ स्वामित्व की पश्चिमी अवधारणा :

❖ **ऑस्टिन (व्यक्ति–वस्तु संबंध)** : स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है, जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित (Indefinate in point of use), व्ययन (Disposition) की दृष्टि से अनिर्वन्धित एवं अवधि की दृष्टि से असीमित है।

○ **आलोचना :**

(i) स्वामित्व एक अधिकार नहीं अपितु अधिकारों का समूह है जिसमें से यदि कुछ अधिकार किसी और को दे दिए जाए तब भी स्वामित्व समाप्त नहीं होता। जैसे–मकान मालिक–किरायेदार।

(ii) व्ययन का अधिकार अनिर्बन्धित नहीं है क्योंकि सरकार इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे–सम्पत्ति के अवैध उपयोग पर रोक इत्यादि।

(iii) स्वामित्व की अवधि असीमित नहीं है क्योंकि सरकार या राज्य जनता के हितों के लिए वह स्वामित्व ले सकती है। जैसे–जनहित में अधिग्रहण।

❖ **सॉमण्ड** : स्वामित्व व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के बीच का संबंध है। स्वामित्व किसी व्यक्ति में निहित समस्त अधिकार है जिन्हें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विरूद्ध प्रयोग करता है। इन्होंने स्वामित्व की निराकार (अमूर्त) परिकल्पना की परिभाषा दी, इनकी परिभाषा ऑस्टिन की परिभाषा से भिन्न है, ऑस्टिन ने स्वामित्व को भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखा है जबकि सामण्ड ने इसे अधिकार के रूप में भी देखा है।

○ **इसमें निम्न अधिकार सम्मिलित है–**

(i) कब्जे का अधिकार।

(ii) उपभोग तथा उपयोग का अधिकार।

(iii) व्ययन तथा वस्तु को नष्ट करने का अधिकार।

(iv) असीमित काल तक स्वामित्व बनाये रखने का अधिकार ।

(v) अवशिष्ट अधिकार।

○ **आलोचना**

(i) स्वामित्व किसी वस्तु का होता है न कि अधिकार का।

(ii) स्वामित्व का निराकार स्वरूप समझना जटिल है।

❖ **हॉलैण्ड** : किसी वस्तु पर सम्पूर्ण नियंत्रण जिसमें, कब्जे, उपभोग एवं व्ययन के अधिकार सम्मिलित है।

❖ **हबर्ट** : स्वामित्व में चार प्रकार के अधिकार निहित है–

(i) किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार।

(ii) अन्य व्यक्तियों को वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार।

(iii) वस्तु के व्ययन का अधिकार (गिरवी, विक्रय, दान, निक्षेप व नष्ट करना)।

❖ **फ्रेडरिक पोलक** : किसी वस्तु के प्रति विधि द्वारा प्रदत्त उपयोग एवं व्ययन की शक्ति की सम्पूर्णता को स्वामित्व कहते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि किसी सम्पत्ति पर व्यक्ति को जब विभिन्न अधिकार एक साथ प्राप्त होते हैं तो अधिकारों का समूह ही स्वामित्व कहलाता है एवं अधिकारों का संग्रहणकर्ता सम्पत्ति का स्वामी कहलाता है।

❖ **फ्रेडरिक ब्लैक के विधि शब्दकोश के अनुसार** : सम्पत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को स्वामित्व कहते हैं जिसमें सम्पत्ति का अन्तरण किसी अन्य को करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

❖ **स्वामित्व की भारतीय अवधारणा** : प्राचीन काल से ही भारत में स्वामित्व की अवधारणा का विकास हो गया था, इस भारतीय अवधारणा में स्वामित्व का अर्थ किसी वस्तु पर वैधानिक हक होना एवं उसका कब्जा एवं भोग करने का अधिकार भी शामिल है।

○ **साक्ष्य–ब्रह्म पुराण में वैधानिक हक प्राप्त करने के 7 तरीके बताये गये हैं।**

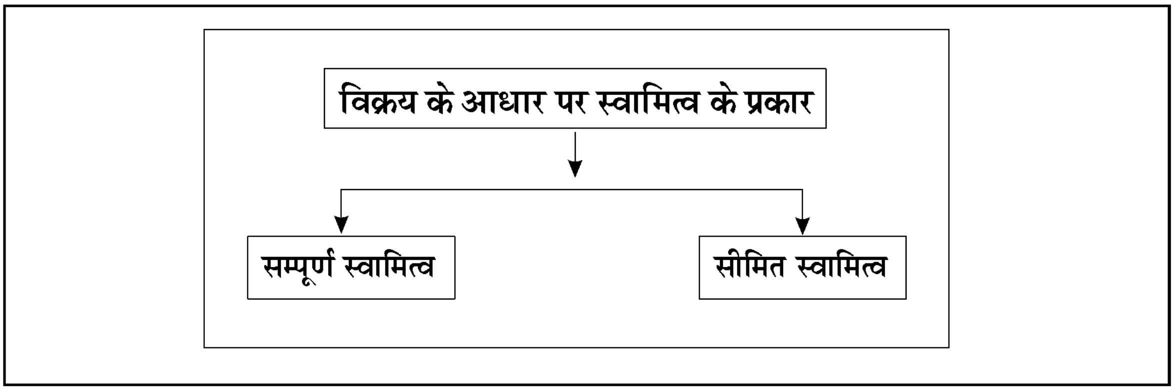

○ भारत में सम्पत्ति की अवधारणा प्राचीन काल से ही स्थापित हो गयी थी तथा सम्पत्ति को जंगम (Movable) एवं स्थावर (Im-moveable) में विभाजित किया गया था। भारत में कब्जे को स्वामित्व का एकमात्र साक्ष्य नहीं माना गया एवं स्वामित्व स्थापित करने के लिए वैधानिक हक को भी महत्त्वपूर्ण माना गया है।

❖ **विधि की पश्चिमी व भारतीय अवधारणा में अन्तर :**

क्र.सं.	पश्चिमी अवधारणा	भारतीय अवधारणा
1.	सरकार एवं निराकार स्वामित्व की अवधारणा।	सम्पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व की अवधारणा।
2.	वैधानिक हक के बजाए सम्पूर्ण अधिकार पर अधिक महत्त्व दिया गया।	वैधानिक हक को सबसे महत्त्वपूर्ण माना गया।
3.	धोखाधड़ी से स्वामित्व स्थानातंरित करने पर दण्ड का प्रावधान बहुत बाद में विकसित हुआ।	मनुस्मृति में धोखाधड़ी से स्वामित्व स्थानान्तरित करने पर दण्ड के प्रावधान के बारे में बताया गया है।

❒ **स्वामित्व की विशेषताएँ/लक्षण :**

(a) स्वामित्व पूर्ण अथवा निर्बन्धित हो सकता है। जैसे–युद्धकाल में भवनों को राष्ट्रसेवा या अन्य किसी कार्य के लिए अर्जित किया जा सकता है।

(b) विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

(c) किसी वस्तु के स्वामी को अपने स्वामित्व का अस्तित्व बनाये रखने के लिए कर (Tax) अथवा शुल्क (Feesduty) आदि देना पड़ता है।

(d) इसका उपयोग व्यक्ति को क्षति पहुँचाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(e) अनुचित व्ययन (कपट, धोखाधड़ी, ऋण बकाया) नहीं कर सकते हैं।

(f) संपत्ति के स्वामी की मृत्यु होने पर संपत्ति समाप्त नहीं होती है बल्कि वह उसके विधिक उत्तराधिकारियों में निहित हो जाती है।

(g) सामान्यतः पागल, जड़ एवं अवयस्क व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

❒ **स्वामित्व के प्रकार :**

❖ **मूर्त और अमूर्त स्वामित्व :** मूर्त स्वामित्व का अर्थ है किसी भौतिक वस्तु पर स्वामित्व होना, जैसे–गाड़ी, मकान, बंगला, होटल। अमूर्त स्वामित्व का अर्थ है किसी अधिकार पर स्वामित्व होना, जैसे–बौद्धिक सम्पदा का अधिकार, पेटेन्ट का अधिकार इत्यादि

❖ **एकल और सह स्वामित्व :** एकल स्वामित्व का अर्थ है स्वामित्व का अधिकार एक व्यक्ति में निहित होना । जैसे–जमीन–जायदाद में जबकि सह स्वामित्व का अधिकार है –दो या दो से अधिक व्यक्तियों में निहित होना

❖ **निहित एवं सम्भाव्य स्वामित्व :** जब स्वामित्व सही एवं तत्काल होता है उसे निहित स्वामित्व कहते हैं, जबकि किसी शर्त के पूर्ण होने पर या किसी घटना के होने पर जब स्वामित्व सही हो जाता है उसे सम्भाव्य स्वामित्व/समाश्रित स्वामित्व भी कहते हैं।

❖ **सम्पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व :** सम्पूर्ण स्वामित्व का अर्थ है बिना किसी शर्त के वस्तु के उपयोग, कब्जे एवं उपभोग का पूर्ण अधिकार जबकि सीमित स्वामित्व का अर्थ है वस्तु पर सीमित उपयोग, उपभोग व कब्जे का अधिकार जो सामान्यतः संविदा द्वारा सीमित किया जाता है।

❖ **विधिक और साम्यिक स्वामित्व :** वैधानिक स्वामित्व का अर्थ है – विधि के नियमों के अनुसार स्थापित किया गया स्वामित्व। साम्यिक स्वामित्व का अर्थ है – साम्य/शेयर के नियमों के अनुसार, स्थापित किया गया स्वामित्व।

❖ **न्यास एवं लाभकारी स्वामित्व :** न्यास स्वामित्व में स्वामित्व को लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। यह स्वामित्व सीमित होता है, क्योंकि इसमें केवल स्वामित्व वाली वस्तु के प्रबंधन का अधिकार होता है ना कि उसके भोग का। लाभकारी स्वामित्व में स्वामी स्वामित्व वाली वस्तु का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है ।

निष्कर्ष : स्वामित्व किसी वस्तु के उपयोग, उपभोग, कब्जे एवं व्ययन का वैधानिक अधिकार होता है, स्वामित्व संबंधी अवधारणा सम्पत्ति से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है।

❐ **स्वामित्व के आवश्यक तत्व** :

1. वस्तु के पूर्ण अधिकार एवं हित स्वामी में निहित होते हैं।
2. स्वामी वस्तु का स्वतंत्र उपयोग एवं व्ययन करता है।
3. स्वामी का अधिकार शाश्वत अर्थात् अवधि की दृष्टि से असीमित होता है।
4. स्वामी अन्य व्यक्तियों को सम्पत्ति से अपवर्जित कर सकता है।
5. स्वामी को स्वामित्व त्याग का एवं सम्पत्ति को नष्ट करने का अधिकार होता है
6. स्वामित्व विधि के अंतर्गत निर्बन्धित हो सकता है।
7. स्वामित्व के प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को क्षति नहीं होनी चाहिए।

❒ स्वामित्व का अर्जन :

मनुस्मृति के अनुसार स्वामित्व का अर्जन निम्न प्रकार से हो सकता है–	वर्तमान भारतीय विधि के अनुसार	स्वतंत्र सहमति का अर्थ
1. ग्रहण द्वारा 2. दान (प्रतिफल रहित) 3. विक्रय (प्रतिफल सहित) 4. विजय 5. विभाजन 6. लाभ के लिए हस्तान्तरण	भारत में प्रचलित विधि के अनुसार स्वामित्व केवल वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है जो प्रतिफल सहित अथवा प्रतिफल रहित हो सकता है। जिसके लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक है।	जब कोई सहमति निम्नलिखित तत्वों से प्रभावित नहीं हो तो उसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं– 1. भूल 2. मिथ्यावर्णन 3. कपट 4. धमकी/उत्पीड़न 5. अनुचित प्रभाव

RAS मुख्य परीक्षा में आये हुए प्रश्न

1. सामण्ड द्वारा दी गई स्वामित्व की परिभाषा बताइये? (2016)

***

प्रज्ञान